

तम्भ माननीय सदस्य म्होदय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ज्वालियर सर्किं कोट



रोवा।

क्रमांक 415-III-15

Rs 20/-

- 1- धर्मदास यादव तनय स्वर्ग श्री रामफल यादव,
- 2- सुदामा यादव तनय स्वर्ग श्री रामफल यादव,
- 3- रमेश यादव तनय स्वर्ग श्री रामफल यादव

----- सभी निवासी ग्राम पड़ेरिया तहसील रायपुर कर्बुलियान

एठ जिला रोवा म०प्र०

----- आवेदक गण।

बनाम।

- रोडर सर्किं कोट रोवा - विश्वनाथ यादव तनय स्वर्ग श्री गयादीन यादव ॥ अना०ग्र०। ता ३ निवासी
 2- विश्वनाथ यादव तनय स्वर्ग श्री गयादीन यादव ॥ ग्राम पड़ेरिया तहसील रायपुर
 3- बेबा जयरम्भा पत्नी लर्पा श्री ग्राम पड़ेरिया तहसील जिला रोवा
 4- श्रीमती सुखरीया पुत्री स्वर्ग श्री रामफल यादव पत्नी श्री हीरामण यादव

हाल निवासी ग्राम कोटी तहसील मनम्बां जिला रोवा म०प्र०।

क्रमांक 4519
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक को प्राप्त श्रीमती सुमित्रा पुत्री स्वर्ग रामफल यादव पत्नी श्री सत्यनारायण यादव

- हाल निवास साकिं सिलघरी तहसील हुजूर जिला रोवा म०प्र०।
 राजस्व भण्डल न.प्र. ज्वालियर - बेबा देवकली पत्नी स्वर्ग श्री छोटेलाल यादव ॥ अना०ग्र० क्र० 6 ता ४
 7- देवशरण यादव तनय स्वर्ग श्री छोटेलाल यादव ॥ निवासी ग्राम पड़ेरिया
 8- भिठाईलाल यादव तनय स्वर्ग श्री खेलाड़ी यादव ॥ तहसील रायपुर कर्बुलियान
 जिला रोवा म०प्र०।

9- शासन म०प्र०

----- अनावेदक गण।

पुनरोक्ति याचिका विरह आदेश श्रीमान् अपर
जिलाध्यक्ष म्होदय रोवा जिला रोवा के जरिए
प्र०ग्र००८८/अ०३/२०११-१२ में पारित आदेश दिन
२५-१२-२०१४।

पुनरोक्ति याचिका अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भ०२०८०
संविदा वर्ष १९५७ ई०।

मान्धवर,

पुनरोक्ति याचिका के अधीन निम्नलिखित है :-

राजस्व यादव

२५३१ अ०३/२०१४

क्र०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R ५१८-४१२/१८ जिला- रीवा

धर्मदास यादव वगैरे विरुद्ध विश्वनाथ यादव वगैरे

(1)	(2)	(3)
19-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अधिवक्ता अन्नतेन्दु तिट्टे द्वारा यह निगरानी कर्त्तव्य/ अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक ४४/१६६४/तिट्टा/११-१२ में पारित आदेश दिनांक २६-१२-१४ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक १४-३-१९ को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p><i>[Signature]</i></p>	